राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 191/2024

शरद कुमार यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिजारा जिला खैरथल–तिजारा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.01.2024
आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमंत धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक–1) और कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 29.01.2024 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपीलार्थी को स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि के दौरान पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं जयपुर किया गया है। अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा करने का आधार यह है कि उसने सिलिकोसिस बीमारी के प्रमाणीकरण के संबंध में अनियमितता की है, जबकि अपीलार्थी ने सिलिकोसिस रोग के रोगी के संबंध में सीएचसी तिजारा में कोई एक्स–रे नहीं किया है। साथ ही उसने निवेदन किया है कि आरएसआर के नियम 25 ए का उल्लंघन करते हुए और प्रतिबंध अवधि के दौरान आलोच्य आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी प्रारम्भ में वर्ष 2012 में रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर वर्ष 2018 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिजारा में कार्यरत है। सीएचसी तिजारा में केवल एक ही मरीज सिलिकोसिस जांच के लिए आया और अपीलार्थी ने उसका एक्स–रे किया, लेकिन मरीज सिलिकोसिस रोग से पीडित नहीं मिला और उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। इस संबंध में अपीलार्थी की एसएसओ आईडी के विवरण की एक प्रति अनुलग्नक–3 पर

उपलब्ध है। निदेशालय विशेष योग्यजन के पत्र दिनांक 06.12.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा दौसा जिले में सिलिकोसिस रोग के रोगियों के संबंध में की गई अनियमितता के संबंध में जांच की गई थी और इस संबंध में दौसा जिले में कार्यरत कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए थे। अपीलार्थी द्वारा कभी दौसा जिले में काम नहीं किया गया और वह सीएचसी तिजारा में कार्यरत है और उसने ऐसे केवल एक मरीज का एक्स–रे किया है, जो सिलिकोसिस बीमारी का मरीज ही नहीं था तथा जिसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव प्राप्त हुई, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 24.01.2024 द्वारा निदेशालय जयपुर में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। अपीलार्थी का कथन है कि यह जांच दौसा जिले में हुई अनियमितताओं के लिए की गई थी और अपीलार्थी का दौसा जिले में की गई उक्त जांच से कोई संबंध नहीं है। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उसके द्वारा जानकारी करने पर पता चला कि दौसा जिले में किए गये कुछ एक्स–रे अपीलार्थी की एसएसओ आईडी से अपलोड किये गये है, जबकि ऐसा करना असंभव है एवं अनुमति भी नहीं है। प्रत्येक जिले में जिला क्षय अधिकारी का एक पद मौजूद है और एक्स–रे को क्षय अधिकारी अलवर की एसएसओ आईडी पर अपलोड किया गया। इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सीएचसी तिजारा द्वारा दिनांक 27.01.2024 को एक पत्र भी निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को लिखा गया था (अनुलग्नक–5) जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी शरद कुमार यादव 2018 से रेडियोग्राफर के पद पर सीएचसी तिजारा में कार्यरत है। उसकी एसएसओ आईडी सिलिकोसिस पॉर्टल पर इस संस्थान पर संचालित है। अपीलार्थी की एसएसओ आईडी के रिकॉर्ड के अनुसार सिलिकोसिस बीमारी के संबंध में दिनांक 27.03.2023 को एक मरीज सत्यनारायण गुप्ता अस्पताल में आया था जिसका विवरण अपीलार्थी की एसएसओ आईडी में अपलोड किया गया था लेकिन उक्त मरीज सिलिकोसिस का मरीज नहीं पाया गया इसके अलावा अस्पताल में सिलिकोसिस से पीड़ित होने के संबंध में कोई भी मरीज पंजीकृत नहीं किया गया। अपीलार्थी ने इस संबंध में दिनांक 29.01.2024 (अनुलग्नक–6) द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा ऐसी संभावना जताई है कि उसकी एसएसओ आईडी किसी व्यक्ति द्वारा हैक कर ली गई है जो उसकी एसएसओ आईडी का दुरुपयोग कर रहा है। इसके अलावा, रेडियोग्राफर का काम केवल अस्पताल में एक्स–रे करना है और अपीलार्थी ने सिलिकोसिस रोग के मरीज के संबंध में दिनांक 21.03.2023 को केवल एक एक्स–रे किया है और एक एक्स–रे के अलावा उसने कोई एक्स–रे नहीं किया है। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–1) विभाग ने आदेश दिनांक 04.01.2024 के द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण/एपीओ पर दिनांक 15.01.

2023 से पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। स्थानान्तरण सेवा का आवश्यक हिस्सा है, परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 11114/2016 हेमेन्द्र कुमार त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.02.2027 (अनुलग्नक–8) द्वारा तय किए गए मामले के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार शिकायत के आधार पर कोई स्थानांतरण मान्य नहीं है। आलोच्य आदेश आरएसआर के नियम 25ए के उल्लघंन में जारी किया गया है। नियम 25ए में विशिष्ट आधारों/दशा में ही एपीओ का प्रावधान है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के निलंबन आदेश दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 29.01.2024 को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर रेडियोग्राफर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में नियमित वेतन एवं समस्त लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिए जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.01.2024 (अनुलग्नक–1) जिसमें अपीलार्थी सहित 11 राजसेवकों को सिलिकोसिस प्रमाणीकरण की अनियमितता बरतने के आधार पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.01.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में वर्ष 2018 से रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2012 में रेडियोग्राफर के पद पर हुई। अपीलार्थी वर्तमाान पदस्थापन स्थान से पहले अपीलार्थी टपुकडा एवं किशनगढ़ बास में पदस्थापित रहा है। अपीलार्थी के अनुसार सिलिकोसिस बीमारी के प्रमाणीकरण की अनियमितता के संबंध में उसके द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। अपीलार्थी के द्वारा सिलिकोसिस बीमारी के संबंध में वर्तमान पदस्थापन स्थान पर केवल एक एक्स–रे किया गया, जो नेगेटिव था। अपीलार्थी को बिना किसी आधार के आलोच्य आदेश द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सीएचसी तिजारा द्वारा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को प्रेषित पत्र दिनांक 27.01.2024 में भी यह अंकित किया है कि **''श्री शरद कुमार यादव पद रेडियोग्राफर दिनांक 27.06.2018 से लगातार आज दिनांक तक इस कार्यालय के अधीन कार्यरत है। तथा उक्त अवधि के दोरान किसी भी**

अवधि में इनके द्वारा इस संस्थान से अन्यत्र कार्य नहीं किया गया है। श्री शरद कुमार यादव की एसएसओ आईडी सिलिकोसिस पोर्टल पर इस संस्थान पर ही संचालित है। दिनांक 21.03.2023 को एक मरीज सत्यनारायण गुप्ता निवासी तिजारा उम्र 60 साल को 310 हिम्मतसिंह जेएस मेडिसिन की एसएसओ आईडी से चिन्हित कर श्री शरद कुमार यादव की एसएसओ आईडी पर प्रेषित किया गया। जिसे डा० हिम्मतसिंह की देखरेख में शरद कुमार रडियोग्राफर की आईडी से पीएमओ राजसमंद को अग्रेसित किया गया। जिसमें सिलिकासिस की पुष्टि नहीं पाये जाने पर निरस्तु कर दिया गया एवं वहाँ से उक्त मरीज को किसी भी प्रकार का सिलिकोसिस संबंधित भुगतान नहीं किया गया है। प्रकरण की पुष्टि सिलिकाराज न्यू पोर्टल से की जा सकती है। इसके अलावा कार्मिक की सिलिकोसिस पोर्टल की आईडी पर कोई अन्य मरीज पंजीकृत नहीं किया गया है।'' अपीलार्थी द्वारा उसकी एसएसओ आईडी की डाउनलोड प्रति भी अपील के साथ प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार भी उसकी एसएसओ आईडी से केवल एक एक्स–रे सिलिकोसिस पोर्टल पर अपलोड किए जाना पाया जाता हैं, जिसमें भी नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अधिकरण को सिलिकोसिस पोर्टल के संबंध में राज्य सरकार द्वारा संचालित ऑनलाईन पोर्टल के संबंध में अवगत कराया गया है कि सिलिकोसिस मरीज ई–मित्र पर पंजीयन कराता है एवं उसे पंजीकरण क्रमांक/आईडी आवंटित हो जाती है। फिर उसे जिला क्षय अधिकारी (डीटीओ) अपनी एसएसओ आईडी से उसकी संबंधित सीएचसी आवंटित करता है। जहां डिजिटल एक्स–रे की सुविधा उपलब्ध है। मरीज संबंधित सीएचसी पर जाने पर चिकित्सक के पास जाने पर चिकित्सक उसके आधार कार्ड एवं ई–मित्र पंजीकरण से मिलान करता है एवं उसके दो पहचान चिह्न एवं सिलिकोसिस पंजीकरण संख्या/आईडी उसके एक्स–रे पर्ची पर लिखता है। तत्पश्चात रेडियोग्राफर द्वारा एक्स–रे पर्ची एवं सिलिकोसिस पंजींकरण करने का मिलान करने एवं मरीज के पहचान चिह्न की आवश्यक जांच कर मरीज का एक्स–रे करता है एंव उसकी पीडीएफ फाईल बनाकर सिलिकोसिस पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी से अपलोड करता है। इसमें मरीज के सिलिकोसिस पंजीकरण एवं आधार कार्ड का विवरण अंकित रहता है। इसके पश्चात पोर्टल पर उक्त अपलोड किया एक्स–रे रेन्डमली किसी भी रेडियोलोजिस्ट को जांच एवं रिपोर्ट हेतु नियत हो जाता है, जो रेडियोलोजिस्ट पोर्टल पर सूचिबद्ध पंचीकृत है। उनके द्वारा जांच कर रिपोर्ट अपनी एसएसओ आईडी से पोर्टल पर अपलोड की जाती है। रेडियोलोजिस्ट की रिपोर्ट में यदि सिलिकोसिस नहीं पाया जाता है तो प्रकरण यहीं बंद हो जाता है एवं यदि सिलिकोसिस के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसके आधार पर प्रकरण जिला क्षय अधिकारी की एसएसओ आईडी पर आता है एवं रेडियोलोजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र पोर्टल से

डीटीओ की एसएसओ आईडी से जारी हो जाता है। स्पष्ट है कि इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में रेडियोग्राफर का कार्य मरीज का समुचित रूप से सत्यापन कर उसका एक्स–रे करके निर्धारित विधि से पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी से अपलोड करना है।

उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सिलिकोसिस पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी से एक सिलिकोसिस पीडित का एक्स–रे किया जाकर अपलोड किया गया है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। यह तथ्य मुख्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिजारा के निदेशक चिकित्सा विभाग को लिखे पत्र एवं अपीलार्थी की सिलिकोसिस पोर्टल की एसएसओ आईडी की डाउनलोड प्रति से प्रमाणित होती है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में हमारा यह मत है कि अपीलार्थी के द्वारा सिलिकोसिस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता नहीं किया जाना पाया जाता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 29.01.2024 को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को रेडियोग्राफर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिजारा जिला खैरथल तिजारा में कार्यरत रखा जावे। यहां यही भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग यदि प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अपीलार्थी का अन्यत्र पदस्थापन/स्था नान्तरण करता है तो उसमें यह आदेश बाधक नहीं होगा। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य